

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मैनुअल संख्या – 8

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1)(ख)(VIII))

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय स्तर पर कोई बोर्ड, परिषद अथवा निकाय गठित नहीं है।
